

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी—मार्च, 2003 संत्र

विनियोग वार्षिक सूची

शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2003 (फाल्गुन 2, 1924)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रबन्धाल

प्रथमतः जितरित सूची में सम्मिलित प्रबन्ध पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिये जाएंगे।

2. पत्रों का पठन पर रखा जाना

श्री डिसाइनर सिंह, ऊर्जा मंत्री, काम्पनीज एकट, 1956 की धारा 619-की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 20 लाख रुपयों का प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पठन पर रखेंगे।

3. नियम 130 (1) के अधीन दावा आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, नरेन्द्र सिंह लोधर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम गुरारैल की महिला सर्वांग द्वारा रिखत की मांग से भूष्य होकर आत्महत्या का प्रयास किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री नरेन्द्र बिरुद्धे, लक्ष्मीकर्ण शर्मा, कुम्वर विजय शाह, सदस्य, हरसुद नगर में डंडिया सागर बाध की सुरक्षा बीचार बनाने का विरोध कर रहे नागरिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, कट्टनी जिले के कैमोर स्थित इंटरनेट एकरेस्ट लिमिटेड के अधिकारी की कार्य से हटाए जाने की ओर राज्यमंत्री द्वारा दावा आकर्षित करेंगे।

(4) श्री मुश्तिमाल, सदस्य, ग्वालियर जिले के सूखा राहत शोजनाओं का गौह बाजार में बेचे जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

निर्धारित
समय

45 मि.

1 घण्टा

45 मि.

4. अशास्वकीय संकल्प

(1) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि पंचायत के अन्य कार्यालयों की भाँति पंचायत कार्यालयों की सेवा की सुरक्षा की कृष्ण से सेवा शर्तों में संशोधन किया जाये।"

(2) श्री लेजसिंह लेधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि समस्त धर्मों में वर्णित अच्छी बातों का तथा नैतिक शिक्षा का समावेश स्कूल शिक्षा स्तर तक के पाठ्यपत्रों में अनिवार्य किया जावे ताकि नैतिक चरित्र से युक्त एवं साम्प्रदायिक विद्येष से भूक्त नहीं पीढ़ी तैयार हो सके।"

(3) सुश्री कुम्सुम लिह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों में अभिवार्य रूप से ब्लड बैंक स्थापित किये जायें।"

भोपाल :

दिनांक : 20 फरवरी, 2003

डॉ. प.के. पराम्बर
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।